सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : कमला अलारिया, आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्र0सं0 01/2019

बाघसिंह पत्नी मलसिंह जाति जट सिख निवासी चक 10 एच सुन्दरपुरा तहसील श्री करणपुर।

निगरानीकर्ता

बनाम

1. ग्राम पंचायत 12 एच मोहल्लां तहसील श्री करणपुर
2. मन्दरसिंह पुत्र मलसिंह जाति जटसिख निवासी 10 एच सुन्दरपुरा तहसील श्री करणपुर।

अप्रार्थीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994

उपस्थित : 1. श्री गुरप्रीतसिंह सिधु, अधिवक्ता, निगरानीकर्ता
2. श्री सतपालसिंह ढिल्लो, अधिवक्ता, अप्रार्थी सं0 2

आदेश दिनांक : 11.05.2022

निगरानीकर्ता द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्व धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत अप्रार्थी सं0 1 द्वारा पट्टा सं0 85 दिनांक 20-12-18 को जो गली आम की जगह का पट्टा अप्रार्थी सं0 2 को जारी किया गया है, के आवंटन को निरस्त कराने हेतु निगरानी प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के सक्षेंप में सारगर्भित तथ्य इस प्रकार हैं कि निगरानीकर्ता के भूखण्ड सं0 26 के पश्चिम में 20 फीट चौडी सडक स्थित है तथा इस सड़क के पश्चिम दिशा में अप्रार्थी सं0 2 का भूखण्ड सं0 29 स्थित है। भूखण्ड सं0 26 व 29 के उत्तर में गली आम है तथा इस गली में भूखण्ड सं0 26 के साथ लगते भूखण्ड सं0 25 व 29 के साथ लगते भूखण्ड सं0 30 व भूखण्ड सं0 30 के पश्चिम में 30 फुट गली के बाद भूखण्ड सं0 33-34 स्थित है। भूखण्ड सं0 30-33-34 व 25 के उत्तर में भी गली आम है तथा यह मकान उत्तर की तरफ खुलते हुए भी है। अप्रार्थी सं0 2 द्वारा कालांतर में भूखण्ड सं0 29 व 26-29 के बीच चल रही गली आम के उत्तर में स्थित गली जो पश्चिम से पूर्व चल रही है की जगह में अपने भूखण्ड सं0 29 के उत्तर की कुछ जगह तथा पूर्व में स्थित 20 फुट की गली के उत्तर में स्थित गली की जगह में नाजायज कब्जा कर पूर्व से पश्चिम स्थित गली को बंद कर दिया था जिसके कारण प्रार्थी तथा कौरसिंह द्वारा गली आम में किये गये आतेक्रमण हटवाकर गली खुलवाने का प्रयास किया तो अप्रार्थी सं0 2 मन्दरसिंह ने

अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

बलविन्द्रसिंह के साथ मिलकर एक दावा सिविल न्यायाधीश, श्रीकरणपुर के न्यायालय में पेश किया जो प्रकरण सं0 76/13 पर दर्ज होकर निर्णय दिनांक 18–8–17 को दावा खारिज हो गया। इसके खिलाफ अप्रार्थी व बलविन्द्रसिंह ने अपील जिला न्यायाधीश, श्रीकरणपुर के न्यायालय में पेश कर दी। अपीलीय निर्णय के उपरांत माननीय उच्च न्यायालय में कार्यवाही की हुई है जो विचाराधीन है। इसी बीच अप्रार्थी सं0 1 व 2 ने मिलकर मुकदमात विचाराधीन होते हुए अप्रार्थी सं0 2 के नाम गली आम की जगह 32 गुणा 50 फुट जिसपर अतिक्रमण किया हुआ था, का पट्टा जारी करने का प्रयास किया। इस पर कौरसिंह द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से ग्राम पंचायत 12 एच मोहल्लां व ग्राम सेवक को विधिक नोटिस दिनांक 9–1–19 को प्रेषित करवाया जिसमें यह स्पष्ट अंकित किया गया कि उपरोक्त अतिक्रमण का मामला माननीय राजस्व न्यायालय, जोधपुर में विचाराधीन है जो कि एस0 बी0 सिविल द्वितीय अपील सं0 96/18 से विचाराधीन है जिसकी जानकारी ग्राम पंचायत को होने पर अप्रार्थी सं0 1 के साथ मिलीभगत से बैक डेट में दिनांक 20–12–18 को अतिक्रमणयुक्त जगह 32 गुणा 50 फीट गली आम की जगह का पट्टा जारी कर दिया। पट्टा जारी करने से पूर्व ना तो ग्राम पंचायत की कोई मिटिंग हुई, ना कोई प्रस्ताव पास किया गया, ना कोई कमेटी का गठन किया गया, न ही रिपोर्ट मंगवाई गई, न ही आपति सूचना ग्राम पंचायत भवन पर चस्पा की गई, ना ही मुनियादी करवाई गई, न ही समाचार पत्र में आपति सूचना प्रकाशित करवाई गई। इस प्रकार बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए आवंटन किया गया है। गली आम की जगह के संबंध में बलजीतसिंह नामक व्यक्ति ने शिकायत की जिसपर ग्राम पंचायत द्वारा विकास अधिकारी को दिनांक 25–1–19 को पत्र लिखकर सूचित किया गया कि पंचायत ने पट्टा बनाने का प्रस्ताव दिनांक 5–7–18 को ग्राम सभा में पारा कर दिया है। माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में चल रही अपील के विचाराधीन होते हुए गलत प्रस्ताव पास किया गया है। पंचायत की जगह का पुराने कब्जे के आधार पर नियमन किया गया है लेकिन पट्टें पर रसीद नम्बर, दिनांक, राशि का उल्लेख नहीं है। निगरानीधीन पट्टा से निगरानीकर्ता व अन्य ग्रामवासियों को गली की जगह का नियमन कर पट्टा जारी करने से आवागमन में बाधा पैदा हो रही है तथा निगरानीकर्ता के भूखण्ड सं0 29 के सामने उतर से दखिण की 20 फुट की गली भी पूर्व से पश्चिम चल रही गली में आवागमन करने से बाधा पैदा हो गई है। इस प्रकार निवेदन किया है कि निगरानी स्वीकार की जाकर निगरानीधीन पट्टा दिनांक 20–12–18 जो गली आम की जगह वाके चक 10 एच सुन्दरपुरा में 32 गुणा 50 फुट जो अप्रार्थी सं0 2 के नाम जारी किया गया है, को निरस्त फरमाया जावे।

निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्तागण ने अपनी बहस में निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कहा है कि एस0 बी0 सिविल द्वितीय अपील सं0 96/18 से विचाराधीन है जिसकी जानकारी ग्राम पंचायत को होने पर अप्रार्थी सं0 1 के साथ मिलीभगत से बैक डेट में दिनांक 20–12–18 को अतिक्रमणयुक्त जगह 32 गुणा 50 फीट गली आम की जगह का पट्टा जारी कर दिया। पट्टा जारी करने से पूर्व ना तो ग्राम पंचायत की कोई मिटिंग हुई, ना कोई प्रस्ताव पास किया गया, ना कोई कमेटी का गठन किया गया, न ही रिपोर्ट मंगवाई गई, न ही आपति सूचना ग्राम पंचायत भवन पर चस्पा की गई, ना ही मुनियादी करवाई गई, न ही समाचार पत्र में

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सतर्कता)
श्रीकरणपुर

Scanned with CamScanner

आपति सूचना प्रकाशित करवाई गई। इस प्रकार बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए आवंटन किया गया है। गली आम की जगह के संबंध में बलजीतसिंह नामक व्यक्ति ने शिकायत की जिसपर ग्राम पंचायत द्वारा विकास अधिकारी को दिनांक 25–1–19 को पत्र लिखकर सूचित किया गया कि पंचायत ने पट्टा बनाने का प्रस्ताव दिनांक 5–7–18 को ग्राम सभा में पास कर दिया है। माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में चल रही अपील के विचाराधीन होते हुए गलत प्रस्ताव पास किया गया है। पंचायत की जगह का पुराने कब्जे के आधार पर नियमन किया गया है लेकिन पट्टें पर रसीद नम्बर, दिनांक, राशि का उल्लेख नहीं है। निगरानीधीन पट्टा से निगरानीकर्ता व अन्य ग्रामवासियों को गली की जगह का नियमन कर पट्टा जारी करने से आवागमन में बाधा पैदा हो रही है तथा निगरानीकर्ता के भूखण्ड सं0 29 के सामने उतर से दखिण की 20 फुट की गली भी पूर्व से पश्चिम चल रही गली में आवागमन करने से बाधा पैदा हो गई है। इस प्रकार निवेदन किया है कि निगरानी स्वीकार की जाकर निगरानीधीन पट्टा दिनांक 20–12–18 जो गली आम की जगह वाके चक 10 एच सुन्दरपुरा में 32 गुणा 50 फुट जो अप्रार्थी सं0 2 के नाम जारी किया गया है, को निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 2 ने अपनी लिखित बहस में वर्णित किया है कि अप्रार्थी सं0 2 का अहाता सं0 29 है जो दिनांक 20–6–81 को ग्राम पंचायत मलकाना खुर्द द्वारा जलन्धरसिंह के नाम आवंटित होकर पारिवारिक बंटवारे में अप्रार्थी सं0 2 मन्दरसिंह को प्राप्त हुआ था जिसपर मन्दरसिंह मकान बना कर रिहायश कर रहा है। उक्त अहाता के उतर की तरफ 45 गुणा 30 फीट का स्थान मन्दरसिंह के कब्जे में है जिसमें मन्दरसिंह का मेन गेट उत्तर दिशा में बना हुआ है जो गली पूर्व से पश्चिम को जाती है, में खुलता है। मुख्य दरवाजा के सामने बलविन्द्रसिंह का मकान गली के पास रिहायशी है जो 6–7 वर्षो से रिहायश कर रहा है जो उसकी दादी द्वारा खरीद शुदा है और उसके सामने दक्षिण की ओर मन्दरसिंह के कब्जाशुदा अहाता 30 गुणा 21 फुट पर बलविन्द्रसिंह का परिवार पिछले 50 वर्षो से बनछटियॉ, रूड़ी व कृषि कार्यो के लिए शान्तिपूर्वक उपयोग कर काबिज चला आ रहा है। निगरानीकर्ता मन्दरसिंह के कब्जे शुदा अहातों में जबरदस्ती गली निकालना चाहते हैं जिससे मन्दरसिंह के मकान ढह जाने पर भारी नुकसान होगा जिसे रोकने के लिए मन्दरसिंह व बलविन्द्रसिंह ने सिविल न्यायालय, श्री करणपुर में वाद प्रस्तुत किया जो दिनांक 18–8–17 को खारिज हो गया जिसके विरूद्व मन्दरसिंह वगैरा ने एडीजे श्री करणपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई। अपीलीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 17–1–18 से सिविल न्यायालय, श्री करणपुर का निर्णय निरस्त कर दिया तथा अहाता सं0 29 के उतर दिशा में कब्जा शुदा अहाता 50 गुणा 30 वर्गफुट है व बलविन्द्रसिंह कब्जाशुदा अहाता जो मन्दरसिंह के इन अहातों के पूर्व दिशा में साईज 30 गुणा 21 फुट है, में प्रतिवादीगण को दखलअंदाजी न करने का आदेश और इन अहातों के बीच में किसी तरह से रास्ता निकालने से पाबन्द किया कि डिक्री जारी की गई। इस डिक्री के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा मन्दरसिह को पट्टा सं0 85 जारी कर दिया गया जो उप पंजीयक से रजिस्टर्ड है। जब तक एडीजे श्री करणपुर का निर्णय निरस्त नहीं हो जाता तब तक पट्टा निरस्त नहीं किया जा सकता है। वर्तमान में प्रकरण उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने से प्रकरण सबजुडिश है इसलिए निगरानी खारिज होने योग्य है। निगरानीधीन आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत नहीं करने के कारण निगरानी खारिज

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

होने योग्य है। ग्राम पंचायत नियमों की पूर्ण रूप से पालना की जाकर निगरानीधीन पट्टा जारी किया गया है। निगरानीधीन पट्टा रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड पट्टे को केवल सिविल न्यायालय में ही चुनोति दी जा सकती है इसलिए निगरानी खारिज किये जाने योग्य है। इस प्रकार निवेदन किया है कि निगरानी खारिज की जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व सलंग्न दस्तावेजात का महनता से अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन करने पर पाया गया कि अप्रार्थी सं0 2 व बलविन्द्रसिंह द्वारा निगरानीकर्ता बाघसिंह व कौरसिंह के विरूद्ध नियमित दिवानी वाद सं0 76/13 व0 सिविल न्यायाधीश, श्री करणपुर के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। निर्णय दिनांक 18–8–17 के द्वारा अप्रार्थी सं0 2 का वाद पत्र बाबत स्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार कर खारिज कर दिया गया था। निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत अप्रार्थी के विरूद्ध काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर चक 10 एच सुन्दरपुरा तहसील श्री करणपुर के अहाता सं0 29 के उत्तर दिशा की विवादित 32 गुणा 52 वर्गफुट भूमि पर मन्दरसिंह को अतिक्रमी घोषित किया जाकर वादीगण को अपने खर्चे पर आदेश की दिनांक से दो माह के भीतर उक्त जगह को खाली करने का आदेश दिया गया तथा बलविन्द्रसिंह को आदेश दिया गया कि वह अपने खर्चे पर आदेश की दिनांक से दो माह के भीतर चक 10 एच सुन्दरपुरा के बहाता सं0 29 की पूर्वी दिशा में स्थित आम गली में बनाई गई पक्की दिवार को हटाकर रास्ता खोले । उक्त निर्णय के खिलाफ अप्रार्थी सं0 2 व बलविन्द्रसिंह द्वारा अपर जिला न्यायाधीश, श्री करणपुर के न्यायालय में दीवानी अपील सं0 22/17 दायर की गई जिसके निर्णय दिनांक 17–1–18 अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18–8–17 अपास्त कर दिया गया। साथ ही यह भी आदेश दिया गया कि वादी सं0 1 (अप्रार्थी सं0 2) अहाता सं0 29 के उत्तर दिशा में कब्जा शुदा अहाता 50 गुणा 30 वर्गफुट है व वादी सं0 2 के कब्जाशुदा अहाता जो वादी सं0 1 के इन अहातों के पूर्व दिशा में साईज 30 गुणा 21 फुट है, में प्रतिवादीगण(निगरानीकर्ता) कोई दखलअंदाजी नहीं करें और इन अहातों के बीच में किसी तरह का रास्ता निकालने से पाबन्द रहें तथा प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम खारिज किया जाता है। इस आदेश के विरूद्ध निगरानीकर्ता द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस0बी0 सिविल सैकेण्ड अपील सं0 96/18 दायर कर दी, जो वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

अप्रार्थी सं0 2 के अधिवक्ता का तर्क है कि प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन है इसलिए सबजूडियश होने के कारण हस्तगत निगरानी खारिज होने योग्य है। यह निर्विवादित है कि वर्तमान में प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, जिसे दोनों पक्ष स्वीकार करते हैं इसलिए हस्तगत मामला सबजूडियश है।

अप्रार्थी सं0 2 के अधिवक्ता का तर्क है कि निगरानीधीन पट्टे की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है इसलिए हस्तगत निगरानी खारिज होने योग्य है। यह तथ्य भी निर्विवादित है कि निगरानी के साथ निगरानीकर्ता द्वारा निगरानीधीन पट्टे की फोटो प्रति प्रस्तुत की है। पट्टे की प्रमाणित प्रति पेश न करने के संबंध में न तो कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है और न ही इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है कि किस कारण से प्रमाणित प्रति प्रस्तुत नहीं की

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

गई है जबकि निगरानीधीन आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किया जाने का आज्ञाप्क प्रावधान है।

अप्रार्थी सं0 2 के अधिवक्ता का तर्क है कि निगरानीधीन पट्टा पंजीकृत है, पंजीकृत पट्टे को केवल सिविल न्यायालय में ही चुनौति दी सकती है इसलिए निगरानी खारिज होने योग्य है। निगरानीधीन पट्टा पंजीकृत है, इस संबंध में पट्टे के पंजीकृत होने के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गई है।

उपरोक्त समग्र विवेचन से यह स्पष्ट है कि प्रथमतः निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी के साथ ही निगरानीधीन पट्टे की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है तथा निगरानीकर्ता द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस0बी0 सिविल सैकेण्ड अपील सं0 96/18 दायर की हुई होने तथा वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने से हस्तगत निगरानी सबजूडियश हो जाने से निगरानी खारिज की जाती है।

निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड वापिस भेजा जावे।

आदेश आज दिनांक 11-05-2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमला अलारिया)
अति0 जिला कलक्टर (सतर्कता)
श्री गंगानगर।

[Type text]